राजस्व लोक अदालत अभियान
"न्याय आपके द्वार-2018"

226/18

[illegible] राजस्व लोक अदालत अभियान के अन्तर्गत दिनांक 2018 को उपस्थित वादकारियों की [illegible] 4.5 के [illegible] कार्यवाही की गई, विपक्षीगण की उपस्थिति में विपक्षी [illegible] वादकारी के पक्ष में निर्णय किये जाने का आदेश दिया विपक्षीगण 23 6 [illegible] वादकारी को [illegible] के उपरान्त कार्यवाही की गयी है। नहर अभियंता प्रमाणित करती है।

नि. सहायक

राजस्व लोक अदालत
"न्याय आपके द्वार-2018"

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : श्री के. आर. यादव, R.A.S.

करण संख्या 93 / 2018

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

उनवान

श्रवा० गोपीराम पुत्र निवासी बच्छखेड़ा

– प्रार्थी/प्रार्थीगण

बनाम

रामकरण रामनाथ पुत्र बाबू

निवासी बच्छखेड़ा

– विपक्षी/विपक्षीगण

उपस्थित :– श्री अनिल शर्मा, अभिभाषक प्रार्थी

दिनांक 22/6/18

निर्णय

प्रार्थी/प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विपक्षी/विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार से है :– प्रार्थी/प्रार्थीगण के ग्राम बच्छखेड़ा तहसील शाहपुरा/ ——— जिला भीलवाड़ा मे स्थित आराजी खसरा नम्बर खाता नम्बर 1732 भूमि 221, 228, 229, 596, 843, 875, 2638, 2661, 2666 कुल किता 8 रकबा 5.10 हैक्टयर की प्रार्थी/प्रार्थीगण खातेदार/संयुक्त खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षी/विपक्षीगण पड़ौसी है। प्रार्थी/प्रार्थीगण एवं विपक्षी/विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है अतः पत्थरगढ़ी कराई जावे।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षी/विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षी/विपक्षीगण बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थी/प्रार्थीगण सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी ग्राम बच्छखेड़ा संवत 2068 से 2071 तक का अवलोकन किया उपरोक्त वर्णित आराजीयात की प्रार्थी/प्रार्थीगण खातेदार/संयुक्त खातेदार दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते है। अतः प्रार्थी/प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा बच्छखेड़ा मे स्थित प्रार्थी/प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी/संयुक्त खातेदारी की आराजीयात किता 8 रकबा 5.10 हैक्टयर की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान की मौजूदगी मे अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो व कोई प्रकरण न्यायालय मे विचाराधीन न हो तो कब्जे मे हस्तक्षेप नही करते हुए पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा/ ——— को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर फीस 1000/- रूपये कायम किये जाते है जो प्रार्थी/प्रार्थीगण से तहसीलदार शाहपुरा/ ——— मौके पर प्राप्त करे। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22/6/18 को सरे इजलास सुनाया गया।

के. आर. यादव
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (भीलवाड़ा)

प्रतिलिपिः–तहसीलदार, शाहपुरा/ ——— पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान की मौजूदगी मे नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

Scanned by CamScanner